न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम् सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)
उपस्थित-प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय
नियमित जमानत आवेदन संख्या-166/2026
चैनपुर थाना काण्ड संख्या-79/2026
सुभाष भामु बनाम् राज्य सरकार
आदेश की तिथि-25.05.2026

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
-सह-
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)।
चैनपुर थाना काण्ड संख्या- 79/2026

सुभाष भामु, उम्र लगभग-31वर्ष
पिता-रामलाल, निवासी ग्राम-खरियाबार,
थाना-नोरागपुर, जिला-कैमूर।

-----------------आवेदक

बनाम

बिहार सरकार -----------------विपक्षी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता :- महेंद्र तिवारी, विद्वान अधिवक्ता
सरकार की ओर से :-श्री शशिभूषण पाण्डेय,विद्वान विशेष लोक अभियोजक

आदेश की तिथि :25.05.2026

उपस्थिति : प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
-सह-
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
कैमूर (भभुआ)।

1. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-पंचम् के न्यायालय से चैनपुर थाना कांड सं0-79/2026 का आरोप पत्र तथा अद्यतन कांड दैनिकी प्राप्त हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक कानून को मानने वाला नागरिक है। इसके पूर्व आवेदक द्वारा कोई अन्य नियमित जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, उसके कोई अपराध नहीं किया है। आधार कार्ड एवं साथ रहने से संबंधित संलग्न फोटो की जांच से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता 18 वर्ष से उपर की थी और विवाह पीड़िता और उसके भाई-भाभी के सहमति से किया गया है। आवेदक के उपर पीड़िता को अपहरण करने का कोई अपराध नहीं बनता है। प्राथमिकी एवं धारा-164 द0प्र0सं0 के बयान में काफी अंतर है। अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन द्वारा दाखिल विद्यालय प्रमाणपत्र बनाबटी है। इस वाद में अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर आरोपपत्र समर्पित किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ या उसे प्रभावित करने का कोई संभावना नहीं है। आवेदक उचित बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

2. विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री शशिभूषण पाण्डेय जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि आवेदक के उपर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ विवाह करने का सीधा आरोप है। अतः आवेदक जमानत पाने के हकदार नहीं है।

3. उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद इस कांड की सूचिका के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया है। सूचिका पीड़िता की भाभी लगती है। सूचिका ने अपने आवेदन में यह आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति महेश कुमार जो जिला-सीकर, राजस्थान का निवासी है वह उसकी ननद को दिनांक 27.12.2025 को बहला-फुसलाकर नौकरी का लालच देकर राजस्थान लेकर चला गया। कुछ दिनो बाद एक अंजान व्यक्ति सुभाष भामु से फर्जी शादी करा दिया जिसके कारण लड़की काफी परेशान और रोने-बिलखने लगी। वहां के लोगो के द्वारा लड़की को धमकी दिया गया कि वे उसे खरीदकर लाये है और वापस जाने नहीं देंगे। अनुसंधान के कम में अनुसंधानकर्ता के द्वारा पीड़िता का धारा-183 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया है। पीड़िता ने धारा-183 भा0ना0सु0सु0 के अंतर्गत बयान में कहा है कि वह अपने भाभी के घर जिगरिया थी, तभी महेश आया और बोला कि वह उसके भैया-भाभी और उसे काम देगा और तीनों को राजस्थान लेकर चला गया। फिर वहां जबरदस्ती उसकी शादी उसके भैया-भाभी को चुप कराकर सुभाष से करा दिया। शादी के बाद वह सुभाष के साथ एक माह रही। सुभाष उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती करता था। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र सं0-189/2026 अभियुक्त सुभाष भामु के विरूद्ध धारा-137(2), 96, 87, 65(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा-04,06 पॉक्सो अधिनियम एवं धारा-09 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत समर्पित किया है। पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी। आवेदक/अभियुक्त पर नाबालिग लड़की के साथ विवाह करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का सीधा आरोप है, जो काफी गंभीर प्रकृति का अपराध है।

4. आवेदक के विरूद्ध लगाये गए आरोप की गंभीरता, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा इस वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। अतः **आवेदक/अभियुक्त सुभाष भामु द्वारा दाखिल नियमित जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।**

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम् सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कैमूर (भभुआ)
उपस्थित–प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वितीय
नियमित जमानत आवेदन संख्या–166/2026
चैनपुर थाना काण्ड संख्या–79/2026
सुभाष भामु बनाम् राज्य सरकार
आदेश की तिथि–25.05.2026

कार्यालय आदेश की प्रति को विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर मूल अभिलेख, आरोपपत्र एवं कांड दैनिकी को संबंधित न्यायालय में अविलम्ब भेजें तथा इस अभिलेख को नियमानूसार अभिलखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
sd/-
(प्रमोद कमार पाण्डेय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
–सह–
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
कैमूर (भभुआ)।

Date of Judgment / Order	25.05.2026
Date of reserving judgment / order	NA
Uploading date	26.05.2026
Uploaded by	Neha Kumari (Steno)